न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस
प्रकरण संख्याः—05 / 2026

तारीख दायर—06.02.2026
तारीख—निर्णय—15.05.2026

1. श्री कालीया पिता स्व0धन्ना मीणा निवासी वलीया खेडा खजुरी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री भेरा पिता स्व0धन्ना मीणा निवासी वलीया खेडा खजुरी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.....अप्रार्थी

उपस्थित—प्रार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री जॉनी जैन
अप्रार्थी की ओर से—श्री राजपेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

—: :निर्णय : :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व, आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा वलीया खेडा, पटवार हल्का बेडावल बी भू.अ.निरीक्षक वृत्त देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 55 व पुराना 55 में वर्णित आराजी संख्या 689, 690, 701,702, 703, 705, 706, 873, 874, 876, 878 कुल किता 12 कुल रकबा 1.8800 हैक्टेयर भूमि में 1/2 वां, 1/2 वां हक व हिस्से में दर्ज चली आ रही है। इसी तरह खाता संख्या 10 नया व पुराना 09 में वर्णी आराजी 704 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि में 1/4 वां, 1/4 वा हक व हिस्सें मे दर्ज चली आ रही है। जो की प्रार्थीगण श्री कालीया पिता राजीया व भेरा पिता राजीया मीणा के नाम से हक व हिस्से मे चली आ रही है। राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम श्री कालीया पिता राजीया मीणा व भेरा पिता राजीया मीणा दर्ज हो गया जबकी वास्तविक नाम कालीया पिता धन्ना मीणा व भेरा पिता धन्ना मीणा दर्ज होना चाहिये था क्योकि राजीया मीणा प्रार्थीगण के बडे पिता व हमारे पिता धन्ना मीणा के भाई थे। जो सहवन से टंकण त्रुटी राजस्व अधिकारी की भुलवश इन्द्राज हो गया है। जिसकी इन्द्राज दुरस्ती किया जाना आवश्यक होकर न्यायसंगत है। प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम कालीया मीणा पिता धन्ना मीणा व भेरा पिता धन्ना मीणा है जो राजकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है। एवं मेरे बडे पिता राजीया मीणा के अविवाहीत ही स्वर्गवास होने के पश्चात् हम प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण की की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किा था, जो स्वीकृत किया गया। दिनांक 16.01.1982 को बडे पिता के मृत्यु के आधार पर नामान्तरण खोला गया जिसमे हम प्रार्थीगण के पिता का नाम सही नाम धन्ना मीणा ही बताया गया था परन्तु खाते में नाम दर्ज करते समय हम प्रार्थी के पिता के नाम के स्थान पर बडे पिता का नाम राजीया मीणा के आधार पर खाते में अलग नाम से नामान्तरकरण में दर्ज हो गया जो दोराने मृत्यु आधार पर नामान्तरणकरण की कार्यवाही के दोरान बडे पिता के नाम कालिया पिता राजीया व भेरा पिता राजीया दर्ज हो गया जो एक मानवीय भूल है जिससे

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

संशोधित किया जाकर हम प्रार्थीगण के पिता का सही नाम धन्ना मीणा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक व न्यायसंगत है। अन्यथा प्रार्थी को वेवजह जलील एवं परेशान व अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु विवश होना पडेगा, प्रार्थी के पक्ष में राजकीय दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, व एक अन्य खाते की नकल भी संलग्न प्रस्तुत है। प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 04.02.2026 को चालु जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्राप्त कर अवलोकन करने पर जाहीर आयी जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र विपक्षी दिनांक 05.02.2026 को उत्पन्न हुआ। जिससे विपक्षी को उक्त संशोधन का इन्द्राज दुरस्ती के लिए निवेदन किया तो उनके द्वारा कानुनी कार्यवाही कर आदेश प्राप्त करने का कथन किया जो की आज दिनांक तक निरन्तर जारी है। उक्त वाद ग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम वलिया खेडा, पटवार हल्का बेडावल बी भू.अ.निरीक्षक देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का का अधिकार आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे होने से उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु आप न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है। निवेदन है की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण कार्यवाही के दौरान हुई मानवीय भुल को सही कर इन्द्राज दुरस्ती की जाकर राजस्व ग्राम वलीया खेडा, पटवार हल्का बेडावल बी भू.अ.निरीक्षक वृत्त देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 55 व पुराना 55 में वर्णित आराजी संख्या 689, 690, 701,702, 703, 705, 706, 873, 874, 876, 878 कुल किता 12 कुल रकबा 1.8800 हैक्टेयर भूमि में 1/2 वां, 1/2 वां हक व हिस्से में दर्ज चली आ रही है। इसी तरह खाता संख्या 10 नया व पुराना 09 में वर्णी आराजी 704 रकबा 1.0500 हैक्टेयर भूमि में 1/4 वां, 1/4 वा हिस्से में दर्ज चली आ रही है। जो की हम प्रार्थीगण कालीया पिता स्व0राजीया व भेरा पिता स्व0राजीया मीणा हक हिस्से में दर्ज चली आ रही भुमि मे हम प्रार्थीगण के पिता का नाम व वास्तविक नाम कालिया पिता धन्ना मीणा व भेरा पिता धन्ना मीणा का अंकन किया जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण श्री कालीया पुत्र धन्ना मीणा, भेरा पुत्र धन्ना मीणा निवासी वलीयाखेडा के होकर दावाशुदा भूमि राजस्व ग्राम वलीयाखेडा की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 की खाता संख्या 55 किता 12 कुल रकबा 1.8800 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण का हिस्सा क्रमशः 1/2–1/2 एवं खाता संख्या 10 आराजी नम्बर 704 रकबा 1.05 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण का हिस्सा क्रमशः 1/4–1/4 के नाम दर्ज है। किन्तु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीगण का नाम कालिया पिता धन्ना मीणा व भेरिया पिता धन्ना मीणा है। राजस्व रेकॉर्ड अनुसार वलीयाखेडा की जमाबन्दी सम्वत् 2019–21 की खाता संख्या 31 किता 11 रकबा 17 बिघा 10 बिस्वा भूमि सहखातेदार श्री मावा वल्द पीथा मीणा व राजीया वल्द काना मीणा के नाम दर्ज थी। जो जमान्दी सम्वत् 2037 में समान दर्ज था। सन् 1982 में विरासत नामान्तरकरण संख्या 127 से श्री मावा पिता पीथा मीणा फोत होने से श्री कालु पिता मावा व भेरिया, कालीया पिता धनिया मीणा के नाम दर्ज हुई एवं नामान्तरकरण संख्या 128 से श्री राजीया पिता कानिया मीणा के बजाय श्री कालु पिता मावा हिस्सा 1/2 व भेरिया पिता धनिया मीणा हिस्सा 1/10 के नाम दर्ज हुआ। सेटलमेंट पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2047 खाता संख्या 11 किता–19 कुल रकबा 3.73 हैक्टेयर भूमि श्री भेरा , कालीया पिता राजीया हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज हों गया ।नामान्तरकरण संख्या 90 दिनांक 16. 02.2007 बंटवारा द्वारा श्री भेरा, कालीया पिता राजीया मीणा के नाम दर्ज हुआ जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2078–78 की खाता संख्या 55 किता –12 रकबा 1.8800 हैक्टयर भूमि व खाता संख्या 10 आराजी नम्बर 704 रकबा 1.05 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकॉर्ड दर्ज है। राजस्व रेकॉर्ड एवं प्रार्थीगण के दस्तावेज आधार कार्ड की जॉच के आधार पर पूर्ववत रिकॉर्ड में नाम अंकन सही था किन्तु सहवन से प्रार्थीगण के पिता का नाम गलत दर्ज हो गया । उक्त खाता संख्या 55 व 10 में प्रार्थीगण का नाम श्री भेरिया , कालिया पिता राजिया के बजाय श्री भेरीया, कालीया पिता धनिया किया जाना उचित है। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहें है, जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

:-आदेशः-

तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट व प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार का नाम खाता संख्या 55 व 10 में प्रार्थीगण श्री भेरिया , कालीया पिता रांजीया के बजाय श्री भेरिया, कालीया पिता धनिया मीणा किया जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 .को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलूम्बर